

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २३ सन् २०१५

भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, २०१५

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१५ है.

संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का २) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८९९ का संख्यांक २ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की अनुसूची १-क में,—

अनुसूची १-क का संशोधन.

(एक) अनुच्छेद ६ में, खण्ड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“(छक) यदि वह समाचार पत्र से भिन्न रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, केबल नेटवर्क अथवा किसी मीडिया पर विज्ञापन से संबंधित है.

न्यूनतम पांच सौ रुपए तथा अधिकतम पच्चीस हजार रुपए के अध्यक्षीन रहते हुए ऐसे करार में विनिर्दिष्ट प्रतिफल की रकम का ०.२५ प्रतिशत.

(छख) कोई संकर्म संविदा, जिसमें संविदा के सम्यक् अनुपालन अथवा किसी दायित्व के सम्यक् निर्वहन को प्रतिभूत करने वाला कोई करार अन्तर्गृहीत हो और जो कोई विकास/निर्माण करार अथवा प्रतिभूति बन्ध-पत्र न हो.

न्यूनतम पांच सौ रुपए तथा अधिकतम पच्चीस हजार रुपए के अध्यक्षीन रहते हुए ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत रकम अथवा मूल्य का ०.२५ प्रतिशत.”;

(दो) अनुच्छेद १९ तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित अनुच्छेद तथा उससे संबंधित प्रविष्टि स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“१९. **विक्रय प्रमाण-पत्र** (ऐसी प्रत्येक संपत्ति के संबंध में जो पृथक् लाट के रूप में रखी गई और बेची गई है), जो किसी सिविल या राजस्व न्यायालय या कलक्टर या अन्य राजस्व अधिकारी या ऐसा करने के लिये तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा लोक नीलामी के द्वारा विक्रय की गई किसी संपत्ति के क्रेता को प्रदान किया गया है.

सम्पत्ति के बाजार मूल्य अथवा क्रय राशि, जो भी अधिक हो, के हस्तांतरण पत्र (क्रमांक २५) पर लगने वाले शुल्क के समान.”;

(तीन) अनुच्छेद ३८ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुच्छेद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“३८. (क) पट्टा, जिसके अंतर्गत, खनन पट्टा से भिन्न अवर-पट्टा या उप-पट्टा तथा पट्टे या उप-पट्टे पर देने या किसी पट्टे का नवीकरण करने के लिये कोई करार है—

(एक) जहां कि पट्टा एक वर्ष से कम अवधि के लिये तात्पर्यित है;

ऐसे पट्टे के अधीन देय या परिदेय पूरी रकम या संपत्ति के बाजार मूल्य का ०.०१ प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो.

(दो) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित है जो एक वर्ष या अधिक है किन्तु पांच वर्ष तक है;

प्रीमियम या अग्रिम दिये गये या अग्रिम दिये जाने वाले धन तथा आरक्षित किये गये औसत वार्षिक भाटक की रकम के योग का, या सम्पत्ति के बाजार मूल्य का ०.१ प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो.

(तीन) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित है जो पांच वर्ष से अधिक है किन्तु दस वर्ष तक है;

प्रीमियम या अग्रिम दिये गये या अग्रिम दिये जाने वाले धन तथा आरक्षित किये गये औसत वार्षिक भाटक की रकम के योग का, या सम्पत्ति के बाजार मूल्य का ०.५ प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो.

(चार) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित है जो दस वर्ष से अधिक है किन्तु बीस वर्ष तक है;

प्रीमियम या अग्रिम दिये गये या अग्रिम दिये जाने वाले धन तथा आरक्षित किये गये औसत वार्षिक भाटक की रकम के योग का, या सम्पत्ति के बाजार मूल्य का एक प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो.

(पांच) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित है जो बीस वर्ष से अधिक है किन्तु तीस वर्ष से कम है;

प्रीमियम या अग्रिम दिये गये या अग्रिम दिये जाने वाले धन तथा आरक्षित किये गये औसत वार्षिक भाटक की रकम के योग का, या सम्पत्ति के बाजार मूल्य का दो प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो.

(छह) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित है जो तीस वर्ष या उससे अधिक है, या शाश्वतकालीन है, या निश्चित कालावधि के लिये तात्पर्यित नहीं है;

प्रीमियम या अग्रिम दिये गये या अग्रिम दिये जाने वाले धन तथा आरक्षित किये गये औसत वार्षिक भाटक की रकम के योग का, या सम्पत्ति के बाजार मूल्य का पांच प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो.

(ख) किसी भी कालावधि का खनन पट्टा, जिसके अंतर्गत अवर-पट्टा या उप-पट्टा तथा पट्टे या उप-पट्टे पर देने या किसी पट्टे का नवीकरण करने के लिये कोई करार सम्मिलित है—

ऐसे पट्टे के अधीन देय या परिदेय पूरी रकम का ०.७५ प्रतिशत.

स्पष्टीकरण—एक.—जब पट्टा करने के करार की कोई लिखत पट्टे के लिये अपेक्षित मूल्यानुसार शुल्क से स्टाम्पित है, और ऐसे करार के अनुसरण में पट्टा तत्पश्चात् निष्पादित किया जाता है, तब न्यूनतम एक हजार रुपए के अध्यक्षीन रहते हुए ऐसे

पट्टा विलेख पर शुल्क, पूर्व संदत्त शुल्क को कम करके, अनुच्छेद के अधीन देय शुल्क होगा।

स्पष्टीकरण—दो.—जहां किसी पट्टे के संबंध में किसी दीवानी न्यायालय की डिक्री या अंतिम आदेश पट्टे के लिये अपेक्षित मूल्यानुसार शुल्क से स्टाम्पित है, और ऐसी डिक्री या अंतिम आदेश के अनुसरण में तत्पश्चात् पट्टा निष्पादित किया जाता है, तब न्यूनतम एक हजार रुपए के अध्यक्षीन रहते हुए ऐसे पट्टा विलेख पर शुल्क पूर्व संदत्त शुल्क को कम करके, अनुच्छेद के अधीन देय शुल्क होगा।

स्पष्टीकरण—तीन.—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिये प्रीमियम, या अग्रिम दिये गये या दिये जाने वाले धन के रूप में कोई प्रतिफल, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, सिवाय उसके जो पट्टे के अधीन किसी अन्य राशि के विरुद्ध प्रतिदेय या समायोज्य हो, दिये गये प्रतिफल के रूप में माना जाएगा।

स्पष्टीकरण—चार.—नवीनीकरण कालावधि, यदि पट्टा विलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है, तो वर्तमान पट्टा विलेख के भाग के रूप में मानी जाएगी।

स्पष्टीकरण—पांच.—जबकि पट्टेदार किसी आवर्ती प्रभार, जैसे कि शासकीय राजस्व, भू-स्वामी के उपकरणों के अंश या नगरपालिक दरों या करों में स्वामी का अंश, जो पट्टाकर्ता से विधि द्वारा वसूलनीय हो, को चुकाने का जिम्मा लेता हो तो वह रकम, जिसके कि पट्टेदार द्वारा चुकाए जाने का इस प्रकार करार किया गया हो, भाटक का भाग समझी जाएगी। अग्रिम में भुगतान किया गया भाटक भी अग्रिम धन समझा जाएगा, जब तक कि पट्टे में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित न कर दिया जाए कि अग्रिम में भुगतान किया गया भाटक, भाटक की किस्तों में मुजरा किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—छह.—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए रॉयल्टी भाटक के रूप में मानी जाएगी।

स्पष्टीकरण—सात.—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए किसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य, प्रीमियम तथा भाटक, जो केन्द्र सरकार अथवा राज्य

सरकार या राज्य सरकार के किसी उपक्रम या राज्य में किसी नगरपालिक निकाय द्वारा या की ओर से निष्पादित पट्टे की विषयवस्तु है, लिखत में दर्शित मूल्य होगा.

स्पष्टीकरण—आठ.—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए इजाजत और अनुज्ञप्ति अथवा कंडक्टिंग लाइसेंस का दस्तावेज, यदि वह स्थावर सम्पत्ति से संबंधित हो और पट्टे की प्रकृति का हो, पट्टा विलेख माना जाएगा.”;

(चार) अनुच्छेद ४१ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“४१क. शस्त्र अथवा गोला बारूद से संबंधित अनुज्ञप्ति अर्थात् आयुध अधिनियम, १९५९ (१९५९ का ५४) के उपबंधों के अधीन शस्त्र अथवा गोला बारूद से संबंधित अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के नवीकरण को साक्ष्यित करने वाला दस्तावेज—

(क) निम्नलिखित से सम्बन्धित अनुज्ञप्ति—

- | | |
|--|-----------------|
| (एक) रिवाल्वर एवं पिस्तौल | पांच हजार रुपए. |
| (दो) रिवाल्वर एवं पिस्तौल से भिन्न अन्य हथियार | दो हजार रुपए. |

(ख) निम्नलिखित से सम्बन्धित अनुज्ञप्ति का नवीकरण—

- | | |
|--|-----------------|
| (एक) रिवाल्वर एवं पिस्तौल | दो हजार रुपए. |
| (दो) रिवाल्वर एवं पिस्तौल से भिन्न अन्य हथियार | एक हजार रुपए.”. |

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का २) में विभिन्न प्रकार की लिखतों पर स्टाम्प शुल्क की दरों के निर्धारण हेतु दो अनुसूचियां हैं. अनुसूची—१ उन लिखतों पर स्टाम्प शुल्क की दरें निर्धारित करती है, जो संविधान की सप्तम् अनुसूची की संघ—सूची की प्रविष्टि ९१ में प्रगणित है, जबकि अनुसूची १-क उन अन्य लिखतों पर स्टाम्प शुल्क की दरें निर्धारित करती है, जो राज्य—सूची की प्रविष्टि ६३ में प्रगणित है.

२. कतिपय दस्तावेजों को, जैसे विज्ञापन से सम्बन्धित करार, संकर्म संविदा और शस्त्र एवं गोला-बारूद से संबंधित अनुज्ञप्ति और उसका नवीकरण, जो वर्तमान में अनुसूची १-क में सम्मिलित नहीं है, अनुसूची १-क में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता के कारण अनुसूची १-क का संशोधन आवश्यक हो गया है.

३. अनुसूची १-क के प्रस्तावित संशोधन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

(क) कर अपवंचन रोकने के लिये—

- (एक) विक्रय प्रमाण पत्र पर प्रभार्यता सम्पत्ति के बाजार मूल्य या क्रय राशि, जो भी अधिक हो, के अनुसार प्रस्तावित की गई है;
- (दो) खनन पट्टों पर प्रभार्यता पट्टे के अधीन देय या परिदेय पूरी रकम के ०.७५ प्रतिशत की दर से प्रस्तावित की गई है;
- (तीन) इजाजत और अनुज्ञप्ति या कंडक्टिंग लाइसेंस के दस्तावेज पर, यदि वह स्थावर सम्पत्ति से संबंधित हो और पट्टे की प्रकृति का हो तो, स्टाम्प शुल्क पट्टा विलेख के अनुसार प्रस्तावित किया गया है.

(ख) व्यापक सार्वजनिक फायदे के लिये—

- (एक) यह प्रस्तावित है कि कोई राशि जो पट्टे के अधीन देय किसी राशि के विरुद्ध प्रतिदेय या समायोज्य है, प्रभार्य नहीं होगी;
- (दो) यह प्रस्तावित है कि किसी नगरपालिक निकाय द्वारा निष्पादित पट्टा विलेख से संबंधित बाजार मूल्य लिखत में दर्शित मूल्य होगा;
- (तीन) ऐसे पट्टे से सम्बन्धित दस्तावेजों पर जो पांच वर्ष से अधिक किन्तु दस वर्ष तक, दस वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष तक और दस वर्ष से अधिक किन्तु तीस वर्ष से कम की अवधि का हो, प्रभार्य स्टाम्प शुल्क आधे तक कम किया जाना प्रस्तावित है.

४. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

दिनांक १० दिसम्बर, २०१५.

जयंत मलैया

भारतीय संसदीय सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

भगवानदेव ईसरानी

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का संख्यांक २) से उद्धरण

अनुसूची १-क

*

*

*

*

अनुच्छेद ६ (छक) यदि वह समाचार पत्र से भिन्न रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, केबल नेटवर्क अथवा किसी मीडिया पर विज्ञापन से संबंधित है.

न्यूनतम पांच सौ रुपये तथा अधिकतम पच्चीस हजार रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए ऐसे करार में विनिर्दिष्ट प्रतिफल की रकम का ०.२५ प्रतिशत.

अनुच्छेद ६ (छख) कोई संकर्म संविदा, जिसमें संविदा के सम्यक् अनुपालन अथवा किसी दायित्व के सम्यक् निर्वहन को प्रतिभूत करने वाला कोई करार अन्तर्विष्ट हो और जो कोई विकास / निर्माण करार अथवा प्रतिभूति बन्ध-पत्र न हो.

न्यूनतम पांच सौ रुपए तथा अधिकतम पच्चीस हजार रुपए के अध्यक्षीन रहते हुए ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत रकम अथवा मूल्य का ०.२५ प्रतिशत.

*

*

*

*

अनुच्छेद १९ विक्रय प्रमाण-पत्र (ऐसी प्रत्येक संपत्ति के संबंध में जो पृथक् लाट के रूप में रखी गई और बेची गई है), जो किसी सिविल या राजस्व न्यायालय या कलक्टर या अन्य राजस्व अधिकारी या ऐसा करने के लिये तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा लोक नीलामी के द्वारा विक्रय की गई किसी संपत्ति के क्रेता को प्रदान किया गया है.

सम्पत्ति के बाजार मूल्य अथवा क्रय राशि, जो भी अधिक हो, के हस्तांतरण पत्र (क्रमांक २५) पर लगाने वाले शुल्क के समान.

*

*

*

*

अनुच्छेद ३८ (क) पट्टा, जिसके अंतर्गत, खनन पट्टा से भिन्न अवर-पट्टा या उप-पट्टा तथा पट्टे या उप-पट्टे पर देने या किसी पट्टे का नवीकरण करने के लिये कोई करार है—

(एक) जहां कि पट्टा एक वर्ष से कम अवधि के लिये तात्पर्यित है;

ऐसे पट्टे के अधीन देय या परिदेय पूरी रकम या संपत्ति के बाजार मूल्य का ०.०१ प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो.

(दो) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित है जो एक वर्ष या अधिक है किन्तु पांच वर्ष तक है;

प्रीमियम या अग्रिम दिये गये या अग्रिम दिये जाने वाले धन तथा आरक्षित किये गये औसत वार्षिक भाटक की रकम के योग का, या सम्पत्ति के बाजार मूल्य का ०.१ प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो.

(तीन) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित है जो पांच वर्ष से अधिक है किन्तु दस वर्ष तक है;

प्रीमियम या अग्रिम दिये गये या अग्रिम दिये जाने वाले धन तथा आरक्षित किये गये औसत वार्षिक भाटक की रकम के योग का, या सम्पत्ति के बाजार मूल्य का ०.५ प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो.

(चार) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित है जो दस वर्ष से अधिक है किन्तु बीस वर्ष तक है;

प्रीमियम या अग्रिम दिये गये या अग्रिम दिये जाने वाले धन तथा आरक्षित किये गये औसत वार्षिक भाटक की रकम के योग का, या सम्पत्ति के बाजार मूल्य का एक प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो.

(पांच) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित है जो बीस वर्ष से अधिक है किन्तु तीस वर्ष से कम है;

प्रीमियम या अग्रिम दिये गये या अग्रिम दिये जाने वाले धन तथा आरक्षित किये गये औसत वार्षिक भाटक की रकम के योग का, या सम्पत्ति के बाजार मूल्य का दो प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो.

(छह) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित है जो तीस वर्ष या उससे अधिक है, या शाश्वतकालीन है, या निश्चित कालावधि के लिये तात्पर्यित नहीं है;

प्रीमियम या अग्रिम दिये गये या अग्रिम दिये जाने वाले धन तथा आरक्षित किये गये औसत वार्षिक भाटक की रकम के योग का, या सम्पत्ति के बाजार मूल्य का पांच प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो.

(ख) किसी भी कालावधि का खनन पट्टा, जिसके अंतर्गत अवर-पट्टा या उप-पट्टा तथा पट्टे या उप-पट्टे पर देने या किसी पट्टे का नवीकरण करने के लिये कोई करार सम्मिलित है—

ऐसे पट्टे के अधीन देय या परिदेय पूरी रकम का ०.७५ प्रतिशत.

स्पष्टीकरण—एक.—जब पट्टा करने के करार की कोई लिखत पट्टे के लिये अपेक्षित मूल्यानुसार शुल्क से स्टाम्पित है, और ऐसे करार के अनुसरण में पट्टा तत्पश्चात् निष्पादित किया जाता है, तब न्यूनतम एक हजार रुपए के अध्यक्षीन रहते हुए ऐसे पट्टा विलेख पर शुल्क, पूर्व संदत्त शुल्क को कम करके, अनुच्छेद के अधीन देय शुल्क होगा.

स्पष्टीकरण—दो.—जहां किसी पट्टे के संबंध में किसी दीवानी न्यायालय की डिक्री या अंतिम आदेश पट्टे के लिये अपेक्षित मूल्यानुसार शुल्क से स्टाम्पित है, और ऐसी डिक्री या अंतिम आदेश के अनुसरण में तत्पश्चात् पट्टा निष्पादित किया जाता है, तब न्यूनतम एक हजार रुपए के अध्यक्षीन रहते हुए ऐसे पट्टा विलेख पर शुल्क पूर्व संदत्त शुल्क को कम करके, अनुच्छेद के अधीन देय शुल्क होगा.

स्पष्टीकरण—तीन.—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिये प्रीमियम, या अग्रिम दिये गये या दिये जाने वाले धन के रूप में कोई प्रतिफल, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, सिवाय उसके जो पट्टे के अधीन किसी अन्य राशि के विरुद्ध प्रतिदेय या समायोज्य हो, दिये गये प्रतिफल के रूप में माना जाएगा.

स्पष्टीकरण—चार.—नवीनीकरण कालावधि, यदि पट्टा विलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है, तो वर्तमान पट्टा विलेख के भाग के रूप में मानी जाएगी.

स्पष्टीकरण—पांच.—जबकि पट्टेदार किसी आवर्ती प्रभार, जैसे कि शासकीय राजस्व, भू-स्वामी के उपकरणों के अंश या नगरपालिक दरों या करों में स्वामी का अंश, जो पट्टाकर्ता से विधि द्वारा वसूलनीय हो, को चुकाने का जिम्मा लेता हो तो वह रकम, जिसके कि पट्टेदार द्वारा चुकाए जाने का इस प्रकार करार किया गया हो, भाटक का भाग समझी जाएगी. अग्रिम में भुगतान किया गया भाटक भी अग्रिम धन समझा जाएगा, जब तक कि पट्टे में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित न कर दिया जाए कि अग्रिम में भुगतान किया गया भाटक, भाटक की किस्तों में मुजरा किया जाएगा.

स्पष्टीकरण—छह.—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए रॉयल्टी भाटक के रूप में मानी जाएगी.

स्पष्टीकरण—सात.—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए किसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य, प्रीमियम तथा भाटक, जो केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी उपक्रम या राज्य में किसी नगरपालिक निकाय द्वारा या की ओर से निष्पादित पट्टे की विषयवस्तु है, लिखत में दर्शित मूल्य होगा.

स्पष्टीकरण—आठ.—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए इजाजत और अनुज्ञप्ति अथवा कंडक्टिंग लाइसेंस के दस्तावेज, यदि वे स्थावर सम्पत्ति से संबंधित हों और पट्टे की प्रकृति के हो, पट्टा विलेख माने जाएंगे.”.

*

*

*

*

अनुच्छेद ४१क. शस्त्र अथवा गोला बारूद से संबंधित अनुज्ञप्ति अर्थात् आयुध अधिनियम, १९५९ (१९५९ का ५४) के उपबंधों के अधीन शस्त्र अथवा गोला बारूद से संबंधित अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के नवीकरण को साक्ष्यित करने वाला दस्तावेज—

(क) निम्नलिखित से सम्बन्धित अनुज्ञप्ति—

(एक) रिवाल्वर एवं पिस्तौल पांच हजार रुपए.

(दो) रिवाल्वर एवं पिस्तौल से भिन्न अन्य हथियार दो हजार रुपए.

(ख) निम्नलिखित से सम्बन्धित अनुज्ञप्ति का नवीकरण—

(एक) रिवाल्वर एवं पिस्तौल दो हजार रुपए.

(दो) रिवाल्वर एवं पिस्तौल से भिन्न अन्य हथियार एक हजार रुपए.”.

*

*

*

*

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.